परिचय

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है । इसका मुख्यालय पटना में है । इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार के संकल्प संख्या–एफ.सी.सी. 47(3)/72 दिनांक 18.4.1972 के द्वारा गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की समस्या के निदान एवं उसके प्रबंधन के लिए की गई थी। इसकी स्थापना गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् के सचिवालय एवं कार्यपालक स्कंध के रूप में की गई थी । इस परिषद् के अध्यक्ष माननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार हैं, बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि एवं सदस्य योजना आयोग इसके सदस्य हैं । अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रसण आयोग, इस परिषद् के सदस्य–सचिव हैं ।

इस आयोग के प्रधान अध्यक्ष हैं, जिनके सहयोग के लिए दो पूर्ण कालिक सदस्य, चार निदेशक एवं सहयोगी कर्मचारी हैं । संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ–साथ बेसिन राज्यों के मुख्य अभियंतागण या तो इस आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं या स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं ।

गंगा बेसिन राज्यों

गंगा बेसिन राज्य इस प्रकार हैं – बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

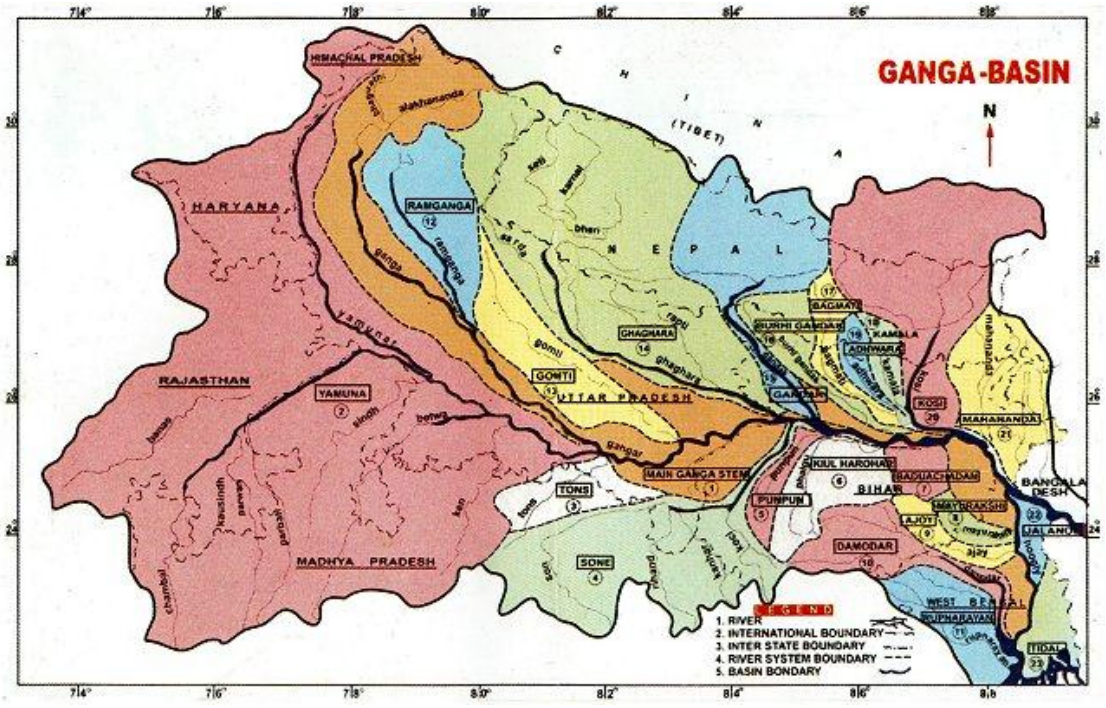

किया–कलाप

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) का विस्तृत कार्य इस प्रकार हैं:–

- बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार एवं अद्यतन करना ।
- बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक परीक्षण करना ।
- सड़क एवं रेल पुलों के नीचे विद्यमान जल निकास मार्गों का आंकलन करना।
- बाढ़–प्रबंधन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम तैयार करना ।
- गुणवत्ता नियंत्रण और अनुरक्षण हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना ।
- महत्वपूर्ण बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करना ।
- विशिष्ट अध्ययनों की अनुशंसाओं प्रलेखन एवं प्रसारण करना ।
- क्रियान्वित बाढ़–प्रबंधन योजनाओं के कार्यकारिता का आंकलन करना ।

उपलब्धियाँ :–

1. बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं :

गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है तथा इन सभी नदी पद्धतियों की बृहत् योजनाएं तैयार की गई एवं सभी संबंधित राज्य सरकारों के बीच कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया गया, जो इस प्रकार हैं :–

1.	गोमती	1975
2.	अधवारा	1975
3.	घाघरा	1976
4.	महानन्दा	1977
5.	कमला–बलान	1978
6.	पुनपुन	1986
7.	अजय	1986
8.	बागमती	1986
9.	गंडक	1986
10.	बूढ़ी गंडक	1986
11.	कोसी	1986
12.	म्यूराक्षी	1987
13.	दामोदर	1987
14.	किऊल हरोहर	1987
15.	यमुना	1987
16.	टोन्स	1988
17.	राम गंगा	1988
18.	बदुआ–चंदन	1988
19.	रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर	1988
20.	जलंगी	1989
21.	सोन	1989
22.	टाईडल नदी पद्धति	1990
23.	मुख्य गंगा प्रवाह	1990

2. **बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजना का अद्यतीकरण :–**

		अद्यतीकरण	
		प्रथम	**द्वितीय**
1.	गोमती	1986	1996
2.	घाघरा	1987	2001
3.	महानंदा	1987	1992
4.	अधवारा	1988	
5.	कमला–बलान	1990	2005
6.	बागमती	1991	
7.	बूढ़ी गंडक	1992	2008
8.	किऊल–हरोहर	1993	
9.	दामोदर	1996	
10.	पुनपुन	1987	
11.	म्यूराक्षी	1999	
12.	रामगंगा	1999	
13.	जलंगी	1999	
14.	टोन्स	2000	
15.	अजय	2002	
16.	यमुना	2002	
17.	बदुआ–चंदन	2003	
18.	रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर	2003	
19.	टाइडल नदी पद्धति	2003	
20.	गंडक	2004	
21.	मुख्य गंगा प्रवाह	2004	
22.	सोन	2004	

3. **जन प्रतिनिधियों के बीच बृहत् योजना का प्रस्तुतीकरण :–**

1. पुनपुन
2. अजय
3. बूढ़ी गंडक
4. म्यूराक्षी
5. बागमती
6. दामोदर
7. यमुना
8. गोमती
9. जलंगी
10. घाघरा
11. रामगंगा
12. रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर
13. टोन्स
14. किऊल–हरोहर

15. अधवारा समूह
16. बदुआ–चंदन
17. सोन

4. **सड़क एवं रेल पुलों के नीचे विद्यमान जल निकास मार्गों की पर्याप्तता का आंकलन :–**

1.	पुनपुन	1986
2.	अजय	1987
3.	बूढ़ी गंडक	1987
4.	म्यूराक्षी	1988
5.	बागमती	1988
6.	महानन्दा	1989
7.	दामोदर	1990
8.	यमुना	1990
9.	गोमती	1991
10.	गंडक	1991
11.	जलंगी	1991
12.	घाघरा	1992
13.	रामगंगा	1992
14.	रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर	1993
15.	टोन्स	1994
16.	कमला–बलान	1994
17.	किऊ–हरोहर	1996
18.	अधवारा समूह	1996
19.	बदुआ–चंदन	1997
20.	सोन	1999
21.	कोसी	2002
22.	दामोदर (अद्यतीकरण)	2003
23.	मुख्य गंगा प्रवाह (बक्सर से साहेबगंज, भाग–1)	2005

5. **बाढ़–प्रबंधन योजनाओं के कार्यकारिता का मूल्यांकन**

1. लखनौती बांध (उत्तर प्रदेश)
2. बरहिया–कोथा बांध (उत्तर प्रदेया)
3. लखनऊ भाहर सुरक्षा योजना प्रगति पर (उत्तर प्रदेश)
4. कमला–बलान तटबंध योजना (बिहार)
5. महानन्दा तटबंध योजना (बिहार)
6. दुब्धा बेसिन जल निकास योजना (पश्चिम बंगाल)
7. महानन्दा तटबंध योजना (पश्चिम बंगाल)
8. पूर्वी मोगराहाट जल निकास योजना (पश्चिम बंगाल)

6. विशेष अध्ययन

1. गंगा बेसिन में बाढ़ की समस्याओं के निदान के उपाय
2. गंगा बेसिन में समस्याओं का मूल्यांकन एवं निदान के उपाय सुनिश्चित करना ।
3. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में बाढ़–प्रबंधन पर रिपोर्ट (1988)
4. पूर्वी क्षेत्र के राज्यों यथा– उत्तर प्रदश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं सिक्किम के बाढ़–प्रबंधन पर गठित टॉस्क फोर्स (1997)
5. उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में बाढ़–प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ समूह (1999)
6. मोकामा टाल समूह में जल निस्सरण मार्ग की समस्या पर गठित टॉस्क फोर्स का रिपोर्ट (1999)
7. उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में क्रांतिक (क्रिटिकल) कटाव समस्या के आंकलन के लिए गठित केन्द्रीय दल ।

7. बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन :–

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गंगा बेसिन राज्यों से प्राप्त बाढ़–प्रबंधन योजनाएं का तकनीकी परीक्षण करता है जिनकी अनुमानित लागत 7.5 करोड़ या इससे अधिक हैं । 7.5 करोड़ से कम लागत की योजनाएं राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है । राज्य बाढ़ नियंत्रण परिशद् में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की भी भागीदारी है । गंगा बाढ़ नियंत्रण की अनु ंसा पर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 15 करोड़ से ऊपर की योजनाओं की मंजूरी दी जाती है ।

8. विभिन्न समितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व

अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. और अन्य वरीय अधिकारियों का विभिन्न तकनीकी समितियों में या तो अध्यक्ष, सदस्य–सचिव या सदस्य के रूप में जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व है। ऐसी समितियों की सूची इस प्रकार है :–		**जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व**	
क्र. सं.	समिति / बोर्ड / विशेषज्ञों / तकनीकी समूह आदि का नाम	अधिकारी	समिति आदि में स्थिति
1.	गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य–सचिव
2.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
3.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल मिनिस्ट्रेरियल आयोग (जे.एम.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
4.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
5.	भारत–नेपाल संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	भारतीय दल प्रमुख
6.	जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	सदस्य(समन्वय), गं.बा.नि.आ.	दल प्रमुख

7.	कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	सदस्य(समन्वय), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
8.	हाइड्रोलिक रिसर्च पर भारतीय राष्ट्रीय समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
9.	गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
10.	कोसी उच्च स्तरीय समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
11.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सोसाइटी	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
12.	साहिबी स्थायी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
13.	उत्तर प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
14.	बिहार राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
15.	पश्चिम बंगाल राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
16.	मध्य प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
17.	भारत में नदियों के गाद पर समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
18.	तकनीकी सलाहकार समिति, फरक्का बराज प्रोजेक्ट	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. /सदस्य(योजना)	सदस्य
19.	फरक्का बराज प्रोजेक्ट सलाहकार समिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
20.	फरक्का बराज प्रोजेक्ट की निविदा समिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
21.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
22.	तकनीकी सलाहकार समिति, हिमाचल प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
23.	तकनीकी सलाहकार समिति, हरियाणा	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
24.	तकनीकी सलाहकार समिति, राजस्थान	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
25.	तकनीकी सलाहकार समिति, बिहार	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
26.	तकनीकी सलाहकार समिति, पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्	अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. के प्रतिनिधि निदेशक(एम.पी.–1) जी.एफ.सी.सी.	सदस्य
27.	तकनीकी सलाहकार समिति, झारखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
28.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
29.	तकनीकी सलाहकार समिति, छत्तीसगढ़	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
30.	तकनीकी सलाहकार समिति, मध्य प्रदेश	निदेशक(सम.), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
31.	यमुना स्थायी समिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
32.	समुद्र तट सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
33.	एन.एन.आर.एम.एस., जल संसाधन पर स्थायी समिति (एस.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
34.	एन.आई.एच.रिजिनल कॉआर्डिनेशन कमिटी फॉर गंगा प्लेन नार्थ रिजिनल सेन्टर	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. का प्रतिनिधि	सदस्य
35.	वाटर रिसोर्सेज डिवीजन काउंसिल ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. सदस्य(सम.), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
36.	रिवर ट्रेनिंग एण्ड डायवर्सन वर्क्स सेक्शनल कमिटी (डब्लू.आर.डी.–22) ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस्	निदेशक(एम.पी.–II) जी.एफ.सी.सी. निदेशक(योजना), जी.एफ.सी.सी.	सदस्य

बाढ़ समाचार

बाढ़ जल से संबंधित विभिशिका है, जो धरती पर जीवन यापन करने वालों को समय–समय पर सामना करना होता है । जल–प्रबंधन बृहत् अर्थ में मानव एवं पशु को होने वाली क्षति को अधिकतम सीमा तक कम करना है ।

बाढ़ के आने से वर्षा की तीव्रता एवं अवधि, नदी तल के गाद, प्राकृति एवं मानव निर्मित अवरोधों आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । इन कारकों और बाढ़ क्षति के मूल्यांकन प्रतिवर्ष किसी खास बेसिन के बाढ़–प्रबंधन हेतु अनिवार्य है। इसी आधार पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग प्रत्येक बाढ़ के उपरांत वार्षिक बाढ़ रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें बेसिन में वर्षा की तीव्रता और महत्वपूर्ण स्थल के बाद संबंधी सूचनाएं सम्मिलित रहती हैं ।

वर्षा ऋतु के प्रारंभ से गंगा बेसिन के राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों या संगठनों यथा–केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग आदि को बाढ़ के दौरान जल प्लावन से संबंधित आंकड़ा भेजने का अनुरोध किया जाता है (इस सूचना में बाढ़ के दौरान हुई क्षति का आंकड़ा भाामिल रहता है) सूचना में मुख्यतया वर्षा का स्वरूप, नदी का जल स्तर और इसकी प्रकृति, अभियंत्रण संरचना को हुई क्षति और आम जनता को संपत्तियों के हुए नुकसान, आवागमन की अनुपलब्धता और इनको मरम्मत करने के उपाय का वर्णन होता है । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा गंगा बेसिन से संबंधित साप्ताहिक बाढ़ रिपोर्ट प्रसारित किया जाता है, जिनमें उपरोक्त सभी मुद्दों से संबंधित जानकारी होती है । वर्ष 2011 के दौरान इस प्रकार कुल 18 साप्ताहिक बुलेटिन जारी किए गए थे ।

———————————